क्रमांक 16/2/3 जी0 एस0-II-79

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त व उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 22 फरवरी, 1979 ।

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 9054-4 जी0 एस0-II-78/32230, दिनांक 22-12-70 तथा इस विषय पर समय-2 पर जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में गुमशुदा/लापता कर्मचारियों के परिवारों के एक आश्रित सदस्य को नौकरी की सुविधा प्रदान कर दी जाए और ऐसे केसों में अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि की अदायगी तभी की जाए यदि कर्मचारी 7 साल से अधिक लापता रहे तथा प्रयत्न करने पर भी तलाश नहीं किया जा सका हो। उक्त लाभ पुलिस विभाग द्वारा गुमशुदा रिपोर्ट प्राप्त करने उपरांत देय होंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय में भी आगे (General Cases) से इस विभाग को भेजे जाएं ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव न्यायाचार,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, तथा सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।